रजिस्ट्री सं. डी. एल.-33004/93 REGD. NO. D.L.-33004/93

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 203] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 2, 1993/चैत्र 12, 1915
No. 203] NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 2, 1993/CHAITRA 12, 1915

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

श्रम मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 2 अप्रैल, 1993

का.आ. 225(अ).—जबकि केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि इससे संलग्न अनुसूची, जिसमें विवाद से संबंधित या विवाद से जुड़े या विवाद से संगत मामले हैं, में उल्लिखित मामलों के संबंध में एयर इंडिया के प्रबंधन से सम्बद्ध नियोक्ताओं और उनके

कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद मौजूद है और इस विवाद मे राष्ट्रीय महत्व का प्रश्न समाहित है और इसकी प्रकृति ऐसी है कि एक राज्य से अधिक में स्थित एयर इंडिया के प्रतिष्ठान की रूचि इस विवाद में है या इस विवाद से इस प्रतिष्ठान के प्रभावित होने की संभावना है;

और जब कि केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि उक्त विवाद का न्याय निर्णयन एक राष्ट्रीय अधिकरण द्वारा किया जाये;

अतः अब केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा एक राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण का गठन करती है जिसका मुख्यालय बम्बई में होगा और केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय, कलकत्ता के पीठासीन अधिकारी न्यायमूर्ति एम.एन राय को पीठासीन अधिकारी के रूप मे नियुक्त करती है और उक्त अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (1क) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा उक्त विवाद को न्याय-निर्णयन के लिए राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण मे निर्दिष्ट करती है .

अनुसूची

क्या इंडियन फ्लाइट इंजीनियर्स एसोसिएशन (आई.एफ ई.ए.) की निम्नलिखित मांगें न्यायोचित हैं .—

(क) 9 (नौ) घंटे से अधिक समय की उड़ानो, जिन्हे एक अतिरिक्त कमांडर की सहायता से चलाया जा रहा है, के लिए एक दूसरा उड़ान इंजीनियर हो,

(ख) एयर इंडिया बोइंग 747 एवं एयर बस 300 वायुयानो के चालक दल के समेकन के लिये उनके दावे पर आधारित मुआवजा; और

(ग) उनकी यूनीफार्म के संबंध में वर्तमान मे हाफ विंग के स्थान पर फुल विंग की व्यवस्था ;

यदि हां, तो कामगार किस अनुतोष (सहायता) के हकदार है ?

[संख्या एल-11011/1/93-आई आर (विविध)]

पी प्रेमा प्रसाद बाबू, श्रम एवं रोजगार सलाहकार

MINISTRY OF LABOUR

ORDER

New Delhi, the 2nd April, 1993

S.O. 225(E).—Whereas the Central Government is of the opinion that an Industrial dispute exists between the employers in relation to the management

of Air India and their workmen in respect of the matters prescribed in the Schedule hereto annexed which are either matters in dispute or matters connected therewith or relevant to the dispute and that the dispute involves question of national importance and also is of such nature that the establishments of Air India situated in more than one State are likely to be interested in or affected by such dispute ;

And whereas the Central Government is of the opinion that the said dispute should be adjudicated by a National Tribunal ;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by Section 7B of the ID Act, 1947 (14 of 1947), hereby constitutes a National Industrial Tribunal with headquarters in Bombay and appoints Justice Mr. M. N. Roy, Presiding Officer, Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Calcutta as the Presiding Officer, and in exercise of the powers conferred by Sub-Section (1A) of Section 10 of the said Act, hereby refers the said industrial dispute to the National Industrial Tribunal for adjudication ;

THE SCHEDULE

Whether the Indian Flight Engineers' Association. (IFEA) is justified in demanding :

(a) a second flight engineer on longhaul flights exceeding 9 (nine) hours that are operated with an additional commander ;

(b) compensation based on their claim for integration of cockpit crew of Air India Boeing 747 and Air Bus 300 aircrafts ; and

(c) provision of full wing on their uniform instead of half wing as at present ;

If so to what relief the workmen are entitled to

[No. L-11011 1 93-IR(Misc.)]
P. PREMA PRASAD BABU, Labour & Employment Adviser

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1993